10/3/26

GCMS
2024/111

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.19 13:36:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.

प्रकरण सं. : 53/2024 GCMS:-2024/111 दायर दिनांक : 09.02.2024

ओमप्रकाश पुत्र पूराराम जाति ब्राह्मण साकिन मसीतावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.) —वादी

बनाम

1. गौरीशंकर पुत्र पूराराम जाति ब्राह्मण साकिन मसीतावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. सरस्वती पुत्री पुराराम पत्नी श्योचन्द } अकवाम ब्राह्मण साकिनान वार्ड नं. 3
3. अणची पुत्री पुराराम पत्नी कृष्णलाल } नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
4. अमरावती पुत्री पुराराम पत्नी पूर्णराम जाति ब्राह्मण साकिन 2 के चक टीलावाली ढ़ाणी (मिर्जेवाला) तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)
5. जैता पुत्री पुराराम पत्नी बजरंगलाल जाति ब्राह्मण साकिन जयसिंहसर तहसील सरदारशहर जिला चुरू (राज.)
6. कृष्णा पुत्री पुराराम पत्नी विद्याधर जाति ब्राह्मण साकिन वार्ड नं. 7, गऊशाला के पीछे, ऐलनाबाद तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा (हरियाणा)
7. सिमरन पुत्री पुराराम पत्नी राजेन्द्र जाति ब्राह्मण साकिन बालासर मकान नं. 311 तहसील राणिया जिला सिरसा (हरियाणा)
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

—प्रतिवादीगण

वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :
1. श्री लेखराज देरासरी, अभिभाषक वादीगण
2. श्री भंवर लाल सैनी, अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1 से 7
3. पैरोकार राज तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

निर्णय दिनांक : 10.03.2026

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.19 13:36:04 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। ... पक्षकारान उपस्थित।

प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 209 आर.टी.ए. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी सं. 1, वादी

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

का सगा भाई है एवं प्रतिवादीगण सं. 2 से 7 वादी व प्रतिवादी सं. 1 की सगी बहिनें हैं। वादी व प्रतिवादी सं. 1 एवं वादी व प्रतिवादी सं. 1 के भाई महावीर पुत्र पुराराम जाति ब्राह्मण साकिन ऐटा के नाम से संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके रोही ऐटा तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 के खाता सं. 162/49 के खसरा नं. 195/1 में 2.454 है0, खसरा नं. 601/195 में 1.341 है0 व खसरा नं. 604/196 में 3.795 है0, कुल 7.590 है0 बारानी भूमि बहिस्सा बराबर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, जो अपने पिता से जरिये वसीयत प्राप्त हुई है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 के भाई महावीर का अविवाहित अवस्था में दिनांक 18.05.2019 को स्वर्गवास हो चुका है, जिसके वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 7 प्रथम श्रेणी के वारिस हैं। वादी व प्रतिवादी सं. 1 की बहिनों यानि प्रतिवादीगण सं. 2 से 7 का विवाह कर दिया गया है और वे अपने ससुराल में खुश व आबाद हैं, उन्होंने अपने स्वर्गीय भाई महावीर के नाम अंकित भूमि में से अपनी विरासतन् प्राप्तशुदा हक़ व हिस्सा की भूमि मौखिक तौर पर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 को बहिस्सा बराबर दे रखी है। इस प्रकार उक्त भूमि पर वादी व प्रतिवादी सं. 1 बहिस्सा बराबर शान्तिपूर्वक काश्त करते आ रहे हैं, इसलिए वादी ने जैरवाद भूमि में से स्वयं को 1/2 हिस्सा का खातेदार कृषक घोषित करने एवं कुल भूमि का अच्छी में से अच्छी व खराब में से खराब के आधार पर रास्ते की सुविधा को मध्य नजर रखते हुए खाता विभाजन कर वादी का अलग खाता कायम करने का निवेदन किया।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 व प्रतिवादीगण सं. 2 से 7 की ओर से इकबाल दावे प्रस्तुत हुए, जिन्हें शामिल पत्रावली कर साक्ष्य लिये गये।

वादी ने साक्ष्य में अपने स्वयं के बयान शपथ–पत्र पर प्रस्तुत किये जिस पर जिरह वकील प्रतिवादीगण समाप्त कराई। वादी और साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहता, इसलिए साक्ष्य वादी बन्द किये गये। प्रतिवादीगण साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते, इसलिए साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द किये जाकर बहस सुनी गयी।

क्रमशः ..... पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.19 13:36:04 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अभिभाषक वादी ने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करवाते हुए निवेदन किया कि जैरवाद संयुक्त खाता की ख़ातेदारी कृषि भूमि वाके रोही ऐटा तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 के खाता सं. 162 / 49 के खसरा नं. 195 / 1 में 2.454 है0, खसरा नं. 601 / 195 में 1.341 है0 व खसरा नं. 604 / 196 में 3.795 है0, कुल 7.590 है0 बारानी भूमि वादी व प्रतिवादी सं. 1 एवं उनके भाई महावीर पुत्र पुराराम के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 के भाई महावीर का अविवाहित ही स्वर्गवास हो चुका है, और वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 से 7 ही उसके प्रथम श्रेणी के वारिस हैं, जिनमें से प्रतिवादीगण सं. 2 से 7 के द्वारा महावीर के हिस्सा की भूमि में से अपनी विरासतन प्राप्तशुदा भूमि वादी व प्रतिवादी सं. 1 को दी जा चुकी है। इस प्रकार वादी व प्रतिवादी सं. 1 उक्त भूमि पर बहिस्सा बराबर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त हैं। किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, इसलिए जैरवाद रोही ऐटा तहसील सूरतगढ़ के खसरा नं. 195 / 1 में 2.454 है0, खसरा नं. 601 / 195 में 1.341 है0 व खसरा नं. 604 / 196 में 3.795 है0, कुल 7.590 है0 बारानी भूमि का वादी व प्रतिवादी सं. 1 को बहिस्सा बराबर का खातेदार कृषक घोषित कर, कुल भूमि का अच्छी में से अच्छी व खराब में से खराब के आधार पर रास्ते की सुविधा को मध्य नजर रखते हुए खाता विभाजन कर वादी का अलग खाता कायम करने की प्रार्थना की।

विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1 से 7 ने इकबाल दावा में अंकित तथ्यों को दोहराया व अभिभाषक वादी के तर्कों का समर्थन करते हुए वाद वादी स्वीकार किया जाकर जैरवाद कुल 7.590 है0 बारानी भूमि का वादी व प्रतिवादी सं. 1 को बहिस्सा बराबर खातेदार कृषक घोषित किये जाने एवं कुल भूमि का खाता विभाजन कर वादी व प्रतिवादी सं. 1 का अलग–अलग खाता कायम किये जाने की प्रार्थना की।

राज्य सरकार की ओर से [illegible] ने राज्य हित सुरक्षित रखते हुए वाद में निर्णय करने की प्रार्थना की।

क्रमशः ..... पेज 4 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.19 13:36:04 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

बहस श्रवण करने के उपरान्त बहस के परिपेक्ष्य में पूर्ण पत्रावली का अध्ययन व मनन करने पर पाया कि वादी ने वादी व प्रतिवादी सं. 1 एवं वादी व प्रतिवादी सं. 1 के भाई महावीर पुत्र पुराराम के नाम अंकित जैरवाद संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि में से अपने भाई महावीर के अविवाहित स्वर्गवास हो जाने पर, उसके वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 से 7 प्रथम श्रेणी के वारिस होने एवं प्रतिवादीगण सं. 2 से 7 के द्वारा महावीर के हिस्सा की भूमि में अपनी विरासतन प्राप्तशुदा भूमि वादी व प्रतिवादी सं. 1 को बहिस्सा बराबर दिये जाने से वादी ने जैरवाद भूमि का वादी व प्रतिवादी सं. 1 को बहिस्सा बराबर का खातेदार कृषक घोषित करने और कुल भूमि का विभाजन कर वादी ने विभाजन में प्राप्त अपनी भूमि का अलग खाता कायम करने की प्रार्थना की है। पत्रावली में प्रस्तुत जमाबन्दी, मृत्यु प्रमाण–पत्र महावीर पुत्र पुराराम एवं उसके वारिसान के सम्बन्ध में सरपंच, ग्राम पंचायत ऐटा पंचायत समिति सूरतगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रमाण–पत्र एवं वादी के बयान शपथ–पत्र से यह पूर्ण रूप से सिद्ध होता है कि जैरवाद संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके रोही ऐटा तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 के खाता सं. 162/49 के खसरा नं. 195/1 में 2.454 है0, खसरा नं. 601/195 में 1.341 है0 व खसरा नं. 604/196 में 3.795 है0, कुल 7.590 है0 बारानी भूमि वादी व प्रतिवादी सं. 1 एवं वादी व प्रतिवादी सं. 1 के भाई महावीर पुत्र पुराराम जाति ब्राह्मण साकिन ऐटा के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज है एवं महावीर पुत्र पुराराम का अविवाहित अवस्था में स्वर्गवास हो चुका है, जिसंके वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 से 7 जायज वारिसान हैं। प्रतिवादीगण सं. 2 से 7 ने वाद में अंकित, महावीर पुत्र पुराराम के नाम अंकित भूमि में अपने विरासतन प्राप्तशुदा हिस्सा को अपने भाइयों यानि वादी व प्रतिवादी सं. 1 के हक में छोड़े जाने के तथ्यों को अपने इकबालदावा में स्वीकार किया है और [illegible] स्वीकार करने की प्रार्थना की। वादी द्वारा साक्ष्य में प्रस्तुत [illegible] शपथ–पत्र या कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई। अतः [illegible]दावा प्रतिवादीगण सं. 1 से 7 स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.19 13:36:04 IST
Reason: Self Attested

क्रमशः ..... पेज 5 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद वादीगण एवं इकबालदावा प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर जैरवाद संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके रोही ऐटा तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 के खाता सं. 162/49 के खसरा नं. 195/1 में 2.454 है0, खसरा नं. 601/195 में 1.341 है0 व खसरा नं. 604/196 में 3.795 है0, कुल 7.590 है0 बारानी भूमि का वादी व प्रतिवादी सं. 1 ओमप्रकाश व गौरीशंकर पुत्र पूराराम जाति ब्राह्मण साकिन मसीतावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ को बहिस्सा बराबर का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। इसी अनुसार तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। बाद अंकन विभाजन हेतु राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा बनाये गये नियम 18 ता 21 के अनुसरण में रास्ता व सिंचाई आदि की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वादी व प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित भूमि का स्पष्ट नक्शा सहित अलग–अलग विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार सूरतगढ़ को आदेश प्रदान किये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार सूरतगढ़ को पत्र अलग से जारी हो। इसी अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी की जावे। पत्रावली इसी अनुसार निर्णय शुमार कर दाखिल दफ्तर की जावे। बाद आने विभाजन प्रस्ताव, वादी पत्रावली पुनः पेशी में लेने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर, अन्तिम आदेश व डिक्री जारी कराने की कार्यवाही करने को स्वतंत्र है।

आज दिनांक 19.03.2026 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.19 13:36:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

प्राथमिक डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत — **सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर**
बइजलास — **भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.**

अनवान :—

ओमप्रकाश पुत्र पूराराम जाति ब्राह्मण साकिन मसीतावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.) —वादी

बनाम

1. **गौरीशंकर पुत्र पूराराम जाति ब्राह्मण साकिन मसीतावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)**
2. **सरस्वती पुत्री पुराराम पत्नी श्योचन्द** } **अकवाम ब्राह्मण साकिनान वार्ड नं. 3**
3. **अणची पुत्री पुराराम पत्नी कृष्णलाल** } **नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़**
4. **अमरावती पुत्री पुराराम पत्नी पूर्णराम जाति ब्राह्मण साकिन 2 के चक टीलावाली ढ़ाणी (मिर्जेवाला) तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)**
5. **जैता पुत्री पुराराम पत्नी बजरंगलाल जाति ब्राह्मण साकिन जयसिंहसर तहसील सरदारशहर जिला चुरू (राज.)**
6. **कृष्णा पुत्री पुराराम पत्नी विद्याधर जाति ब्राह्मण साकिन वार्ड नं. 7, गऊशाला के पीछे, ऐलनाबाद तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा (हरियाणा)**
7. **सिमरन पुत्री पुराराम पत्नी राजेन्द्र जाति ब्राह्मण साकिन बालासर मकान नं. 311 तहसील राणिया जिला सिरसा (हरियाणा)**
8. **राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़**

—प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

वाद अन्तर्गत 53, 88 व 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 53 वर्ष 2024 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर **अभिभाषक वादी श्री लेखराज देरासरी व अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1 से 7 श्री भंवर लाल सैनी एवं पैरोकार राज** के पेश होने पर हुक्म दिया जाता है।

वाद वादीगण एवं इकबालदावा प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर, निम्न प्रकार से **प्राथमिक डिक्री** जारी कर, आदेश प्रदान किये जाते हैं :

जैरवाद संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके रोही ऐटा तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 के खाता सं. 162/49 के खसरा नं. 195/1 में 2.454 है0, खसरा नं. 601/195 में 1.341 है0 व खसरा नं. 604/196 में 3.795 है0, कुल 7.590 है0 बारानी भूमि का वादी व प्रतिवादी सं. 1 ओमप्रकाश व गौरीशंकर पुत्र पूराराम जाति ब्राह्मण साकिन मसीतावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ को बहिस्सा बराबर का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। इसी अनुसार तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। बाद अंकन विभाजन हेतु राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा बनाये गये नियम 18 ता 21 के अनुसरण में रास्ता व सिंचाई आदि की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वादी व प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित भूमि का स्पष्ट नक्शा सहित अलग—अलग विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार सूरतगढ़ को आदेश प्रदान [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.19 13:36:04 IST
Reason: SelfAttested

नोज ....×......... मुबलिंग [illegible] ....×.......... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह [illegible] ....×..........आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक [illegible]

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत [illegible] दिनांक 10.03.2026 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)